

राजकीय विभागों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/शालाओं इत्यादि के लिए राजस्थान भू-राजस्व संस्थाओं
रकूलो, कालेज, चिकित्सालय, धर्मशालाओं, तथा सार्वजनिक उपयोग में अन्य भवन निर्माणार्थ अनधिकारित
राजकीय कृषि भूमि का आवंटन नियम 1963

वन विभाग

1. प्रार्थी विभाग का नाम
2. आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें) *अहमदी परिवर्तन के अन्तर्गत प्रशासित*
3. क्या इस प्रयोजन विशेष के लिए पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है *अधिके अहमदी परिवर्तन हेतु*
यदि हा तो इसका विवरण *नहीं*
4. क्या पूर्व में आवंटित भूमि का सन्वित्त उपयोग किया जा चुका है?
5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है? *अधिके पर पट्टा की हुई है*
6. दिव्यान्तगत 1963 के नियम 2 के तहत निर्धारित मानदण्ड? *X*
7. यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किये गये हैं तो उसका विवरण।
8. मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित
नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य।
9. आवंटन हेतु चाही गयी भूमि का विवरण-
 - (1) तहसील का नाम *दीपाबड़ी*
 - (2) ग्राम का नाम *पीपलवाडी की*
 - (3) खसरा नम्बर *56/13*
 - (4) भूमि की किस्म *अहमदी*
 - (5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल *कुल 5 कुल रकबा 32 बीघा 12 कित्वा*
 - (6) प्रस्तावित क्षेत्रफल *32 बीघा 12 कित्वा*
 - (7) जमाबन्दी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है *हां/नहीं*
 - (8) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं (पटवारी की भोका रिपोर्ट संलग्न करें)
 - (10) यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो- *नहीं*
 (अ) पशु संख्या *नहीं*
 (ब) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि *है*
 (स) पशुओं के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है *है*
 (द) यदि नहीं तो चारागाह की वैकल्पिक व्यवस्था
 - (11) भूमि नगर पालिका में स्थित है/ग्राम पंचायत में (नाम लिखें) *ग्राम पंचायत क्षेत्र (अमलावाडी)*
 - (12) स्थानिय निकाय का निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें
 - (13) नगरीय क्षेत्र में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की प्रति संलग्न करें।
 - (14) क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है? *नहीं*
 - (15) क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिए विभाग को प्रशासनिक दितीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है?
 - (16) यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा?
 - (17) यदि निर्माण में पूर्व में हो चुका है तो अंकित करें।
 - (18) पूर्व में सहमति नहीं प्राप्त करने का कारण
 - (19) जिला कलक्टर द्वारा की राय

निर्माण कार्य के लिए भूमि का आवंटन
सहमत है

तहसीलदार (मू०अ०)
तहसीलदार
तहसील, दीपाबड़ी (बारा)

पटवारी
अहमदी परिवर्तन के अन्तर्गत प्रशासित
12-7-19

12-8-19
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
दीपाबड़ी जिला-बारा

आवंटन चैक लिस्ट

1	आवंटन करने वाले जिले का नाम	बारा
2	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	X
5	आवंटनकर्ता संस्था के संचित/संचयन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	X
4	संस्था का गत 3 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	X
6	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, विनियम त्तानत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	X
6	क्या सहा संस्था को उचित क्षेत्र में समुचित है? उसका विवरण	X
7	संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग को अनिश्चय/अनिश्चित एवं मान्यता	प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत परतारित भूमि का विवरण नि. 2/18 के अन्तर्गत 2018 पर्यावरण से
8	संस्था द्वारा Norms से अधिक भूमि चाही जाने पर उसका औचित्य	
9	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां तो विवरण दें।	कभी - 4/5/20 संख्या 1/11/329-99
10	परियोजना का लाभ समाज को किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा?	सभी वर्गों को 15 मई 2018
11	संस्था द्वारा चाही गई भूमि का विवरण- राजस्व ग्राम का नाम (खण्ड), विस्म, क्षेत्रफल गय जमाबंदी व राजस्व भवरो	निकेतन सामान्य सं. नं. 56 61 62 7-12-06 13-07 120/121 0-06 11-06
12	संस्था को आवंटन को जाने वाली भूमि का प्रस्तावित दर	X
13	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	X
14	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	X निम्नानुसार
15	चाही गई भूमि की वर्तमान खी.एल.सी. दर	X निम्नानुसार
16	क्या प्रस्तावित भूमि बांधत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचारधीन है? या स्थगन आदेश तो नहीं है?	नहीं
17	क्या भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय, पर्यटन, शहरी, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	15 km
18	क्या भूमि पर विनियम हो चुका है या पूर्व से ही विनियम है?	X
19	भूमि पर अधिक्रान्त हो हो विवरण।	X
20	क्या भूमि कम्पाउंड क्षेत्र में है?	
21	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संबंधित रिकार्ड जमाबंदी राजस्व भवरो- तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	संलग्न है
22	क्या प्रस्तावित भूमि धारणाह है? यदि हां तो ग्राम पंचायत की संघ/अनिश्चय संलग्न है या नहीं? धारणाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	नहीं
23	यदि संबन्धित भूमि नगरीय क्षेत्र या परीफरी क्षेत्र में है तो क्या त्रिकोण की एन.ओ.सी. संलग्न है?	नहीं
24	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग को सत्य	नहीं
25	क्या भारत र स्तान बना चुका है तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है वरना भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू-आवंटन किया जाना है।	X
26	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है	X
27	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है?	LRA Act 1956 की धारा 92

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में प्रश्नों का सत्यापन कर तहसीलदार सतुष्टि कर लेती गई है एवं तदनुसार प्रक्रिया में भूमि आवंटन करने की अनिश्चय की जाती है।

22-7-19

[Signature]

2-6-19
उपाखण्ड मजिस्ट्रेट
डीपाबडौद जिला-बारा

[Signature]
तहसीलदार (मू०अ०)
तहसील छोयाबडौद (बारा)

(प्रस्तावित संस्था)

